हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 2019 को अध्यक्ष, डॉ. राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला-171004 में अपराह्न 02.00 बजे आरम्भ हुई।

राष्ट्रीय गान

(सभा मण्डप में उपस्थित सभी राष्ट्रगान के लिए अपने-अपने स्थानों पर खड़े हुए)

19/08/2019/1400/RG/AG/1

शोकोद्गार

अध्यक्ष : इस वर्षाकालीन सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पर माननीय सदन के नेता, श्री जय राम ठाकुर जी, पूर्व में मुख्य मंत्री रहे आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी, विपक्ष के नेता , श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, श्री सुरेश भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष श्री हंस राज जी, सभी आदरणीय मंत्रीगण और विधायकगण वर्षाकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, जहां उनका कोटिशः अभिनन्दन है। वहीं हम आशा करते हैं कि 11 दिन चलने वाला यह वर्षाकालीन सत्र जिसमें 11 कार्यदिवस होंगे, प्रदेश के हित में उनका अधिक-से-अधिक उपयोग करके माननीय सदस्य लाभ उठाएं और अपनी बात को नियमों की परिधि में रख करके चर्चाओं को सार्थक बनाने में हमारा सहयोग करें। मुझे सदन में सदैव पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों का सहयोग मिलता आया है और मैं आशा करता हूं कि यह पुनः मुझे इस सदन और इस सत्र में भी प्राप्त होगा। धन्यवाद।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी स्वर्गीय पण्डित शिवलाल जी, चौधरी विद्या सागर जी व श्री शिव कुमार उपमन्यु जी पूर्व माननीय सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र और इस वर्षाकालीन सत्र के बीच में, इस माननीय सदन के पूर्व में सदस्य रहे पण्डित शिवलाल जी, चौधरी विद्या सागर जी व श्री शिव कुमार उपमन्यु जी तीन माननीय सदस्य हमारे बीच नहीं रहे।

अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर जब भी हमारा सत्र होता है तो एक या दो सदस्यों का जिक्र इस रूप में होता है और हम यहां शोकोद्गार इस माननीय सदन में प्रस्तुत करते हैं

19/08/2019/1405/MS/AG/1

लेकिन इस बार इस माननीय सदन के तीन पूर्व सदस्य हमारे बीच में से चले गए हैं जिनका इस सदन तथा प्रदेश के विकास में बहुत-बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सबको अपनी ओर से तथा इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, पंडित शिव लाल जी की मृत्यु 21 अप्रैल, 2019 को 78 वर्ष की आयु में हुई। वे मण्डी जिला के रहने वाले थे और जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है उसी चुनाव क्षेत्र से उन्होंने इस विधान सभा में विधायक के रूप में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उनका जन्म 27 मई, 1940 को जिला मण्डी की चच्योट तहसील के कुठेड़ गांव में हुआ था। भले ही यह गांव नाचन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है लेकिन उसके बावजूद मेरे विधान सभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने पहला चुनाव वर्ष 1985 में लड़ा तथा वर्ष 1985 से वर्ष 1990 तक वे इस माननीय सदन में सदस्य के रूप में रहे। राजनीति में आने से पहले वे एक अध्यापक के रूप में काम करते थे और अध्यापक के रूप में कार्य करते हुए उनके मन में राजनीति में आने की इच्छा पैदा हुई। ऐसी इच्छा होने के कारण उन्होंने अध्यापक के पद से त्यागपत्र दे दिया और पंचायत के प्रधान बने। वर्ष 1961 से 1966 तक वे अध्यापक के रूप में काम करते रहे हैं और वर्ष 1971 से 1983 तक ग्राम पंचायत बासा के प्रधान के रहे। वर्ष 1987 में उन्होंने डी0ए0वी0 स्कूल की गोहर के पास स्थापना की। वह

स्कूल उस क्षेत्र के लिए उनका बहुत-बड़ा योगदान है, जहां लगभग 550 छात्र/छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, राजनीति में कभी-कभी कई प्रकार के उतार-चढ़ाव आते हैं। वे कांग्रेस पार्टी में रहे लेकिन बीच में एक ऐसा दौर भी आया कि वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में भी रहे यानी हिमाचल विकास कांग्रेस में रहे। वर्ष 1985 के बाद वे लगातार चुनाव लड़ते रहे और जो उनका अंतिम चुनाव था, वह वर्ष 2007 का था। कांग्रेस पार्टी ने बीच-बीच में उनको टिकट दिया और वर्ष 2007 में भी कांग्रेस पार्टी ने ही उनको टिकट दिया था, भले ही बीच में वे हिमाचल विकास कांग्रेस में चले गए थे। उन्होंने उस समय मुझे कड़ी टक्कर दी थी। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आज तक मेरा विधान सभा चुनाव के अंदर सबसे कम जीत का अंतर उसी दौर में रहा है, जब उन्होंने मेरे ख़िलाफ वर्ष 2007 का चुनाव लड़ा था। वह चुनाव मैं 3500 वोटों से जीता था अन्यथा मेरा जीत का अंतर हमेशा 6000 वोटों से ऊपर का रहा है। उनमें बहुत सी विशेषताएं थीं। वे तीखा बोलते थे और जहां बोलना होता था, वहां पूरे दम के साथ बोलते थे। कांग्रेस पार्टी में वे जनरल सैक्रेटरी भी रहे। वे बहुत ज्यादा सिगरेट का सेवन करते थे और सिगरेट पीने के वे इस प्रकार आदी थे कि अगर मंच पर बतौर मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी भी बैठे होते थे, तब भी वे सिगरेट पी लेते थे। मुझे लगता है कि वे सिगरेट के बिना नहीं रह सकते थे इसलिए उनको शायद इसकी छूट भी थी।

19.08.2019/1410/जेके/डीसी/1

अभी पिछले अर्से में हमारा कई बार मिलना हुआ, कई विषयों के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा होती थी । उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे यानि साफ-सुथरी छवि के साथ उन्होंने काम किया। क्षेत्र के विकास के बारे में हम कई बार बातचीत करते रहते थे, उनसे चर्चा होती थी। हम चुनाव भी लड़ते थे। हमारे साथ उनका मुकाबला होता था लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते थे तो हम आपस में बैठते भी थे और बातचीत भी करते थे कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में उनसे बातचीत होती थी। वे घर से मण्डी के लिए निकले, मण्डी में लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस की कोई बैठक थी, उस बैठक में वे गए और वहीं पर उनकी तबीयत

खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया और वहां से उनको आई.जी.एम.सी. रैफर किया गया। जब उनको आई.जी.एम.सी. रैफर किया गया तो उनकी बेटी ने मुझे फोन किया। उनकी एक बेटी मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ी है और मेरी क्लास फैलो भी रही है। उन्होंने मुझे फोन किया और और कहा कि उनको हॉस्पिटल लाया गया है। हॉस्पिटल में जिस प्रकार की भी व्यवस्था करने की जरुरत थी, की गई लेकिन उनको मासिव अटैक आया था जिससे उनको काफी नुकसान हो गया था।

अध्यक्ष महोदय, 21 अप्रैल, 2019 को 78 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पंडित शिवलाल जी का दुःखद देहान्त हुआ। मैं समझता हूं कि उनके जाने से क्षेत्र के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवदेना प्रकट करता हूं । ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और यह जो शोकोद्गार है, यह उनके परिवार तक पहुंचे, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे चौधरी विद्या सागर जी का 25 अप्रैल, 2019 को जिला कांगड़ा के गांव बल्ला/सौहडा में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैं उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। चौधरी विद्या सागर जी का बहुत ही अलग तरह का व्यक्तित्व था। वे मंत्री थे और हम वर्ष 1998 की सरकार में विधायक थे। वे बहुत ही हसंमुख स्वभाव के थे। वे चुटकुले सुनाते थे और हमेशा खुश रहते थे। वे इस विधान सभा में 1982 में प्रथम बार कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आए थे और उसके बाद 1985 में पुनः विधान सभा के सदस्य चुने गए। फरवरी, 1990 में वे तीसरी बार विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई। इसके पश्चात 20 अप्रैल, 1992 को उन्हें सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार दिया गया और वे वर्ष 1998 में चौथी बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए और कृषि मंत्री के रुप में मंत्रि-मण्डल में उनको शामिल किया गया। स्वर्गीय चौधरी विद्या सागर वर्ष 1957 से उद्योग विभाग में सेवारत रहे और उन्होंने वर्ष 1982 में राज्य विधान सभा में चुनाव लड़ने के लिए समय पूर्व सेवानिवृत्ति प्राप्त की।

उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और उसके बाद राजनीति में प्रवेश लिया। सेवाकाल के दौरान वे प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारी संघ में विभिन्न दायित्वों पर रहें। उनकी अध्ययन, धार्मिक गतिविधियों तथा खेल-कूद में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन चौधरी विद्या सागर द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है और उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

19.08.2019/1415/SS-DC/1

यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

अध्यक्ष महोदय, विद्या सागर जी विशेष तौर से ओ0बी0सी0 कम्युनिटी से संबंध रखते थे। ओ0बी0सी0 कम्युनिटी के लिए वे हमेशा अपनी बात रखते थे। चाहे विधायक दल की बैठक हो या चाहे विधायक दल से बाहर पार्टी की बैठक हो, जहां भी उनको उचित लगता था, चाहे वह छोटी-सी भी बात होती थी, उसे वहां रखते थे। अपनी बिरादरी के प्रति उनका विशेष लगाव व समर्पन था। उनके लिए वे हमेशा बात करते रहते थे। इसलिए ओ0बी0सी0 कम्युनिटी के एक निर्विवाद नेता के रूप में वे वर्षों तक जिला कांगड़ा और पूरे प्रदेश में अपनी सेवाएं देते रहे। इस नाते अभी लोक सभा चुनाव से पहले उनके घर में मेरा जाना हुआ था। मुझे मालूम पड़ा था कि वे अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सब लोगों से मिलने के बाद उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और अपने कमरे में ले गए। पूरे कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में कहां-कहां किस प्रकार से क्या काम करना चाहिए, उसके बारे में मुझे बताया। उन्होंने मुझे कहा कि आप राजनीति में तो काफी पुराने हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि नये हैं, लेकिन मैं कांगड़ा की कुछेक बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा क्योंकि मैं वर्षों तक इस लोक सभा क्षेत्र में काम करता रहा हूं। लोगों के बीच में जाता रहा हूं। इसलिए मैं अलग से आपके साथ बात करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे काफी विस्तार से बात की। परिवार के सब सदस्यों से मिलकर उन्होंने कहा कि यहां आकर हम एक फोटो खींचेंगे। फोटो खींचा भी। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें उनके साथ उस वक्त हुईं। मैं इस बात को लेकर हैरान था कि उन्होंने जो मुझे छोटी-छोटी बातें बताईं, वे सचमुच में धरातल की बातें थीं। वे बातें छोटी थीं लेकिन आवश्यक व महत्वपूर्ण थीं। उस दृष्टि से उन्होंने सारी बातें कही। वे

मुझे कहने लगे कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं आपके साथ चलता। लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जहां भी आपको उचित लगता है कहीं मंच पर मुझको बिठा देना या खड़े कर देना, मैं हाथ जोड़ लूंगा, इतना ही मेरी ओर से कुछ साथियों के लिए काफी हो जायेगा। लेकिन अचानक बीच में हमें खबर मिली कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है तथा उसके पश्चात् वे

हमारे बीच में नहीं रहे । अध्यक्ष महोदय, मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री शिव कुमार उपमन्यु का 11 जुलाई, 2019 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह माननीय सदन भी उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री शिव कुमार उपमन्यु का जन्म 23 मई, 1927 को चम्बा नगर (जिला चम्बा) में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा चम्बा के सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात् स्नातक पंजाब विश्वविद्यालय तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। स्वर्गीय श्री शिव कुमार उपमन्यु ने शिक्षा प्राप्ति के बाद चम्बा में वकालत आरम्भ की। वे वर्ष 1954 से वर्ष 1963 तक जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में रहे। इसके बाद वे वर्ष 1964 से वर्ष 1970 तक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक तथा जिला सहकारी सभा के अध्यक्ष रहे। स्वर्गीय श्री शिव कुमार उपमन्यु प्रथम बार वर्ष 1977 में भटियात विधान सभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे तथा मंत्री परिषद् में शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल किये गये थे। मई, 1982 में वे दूसरी बार हि0प्र0 विधान सभा के लिए चुने गए और उद्योग मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। वर्ष 1990 में श्री शिव कुमार उपमन्यु तीसरी बार विधान सभा के लिए चुने गए थे। उनकी सामाजिक कार्यों, बागवानी, अध्ययन एवं गरीब लोगों की सेवा में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन श्री शिव कुमार उपमन्यु द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

19.08.2019/1420/केएस/एचके/1

उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी पार्टी की बहुत बड़ी नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का भी देहांत हो गया। महिला नेत्री के नाते पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान थी। पूरे देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान खासतौर से महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रहा है। वह हमारी पार्टी की बहुत बड़ी नेता थी। विदेश मंत्री के साथ-साथ विभिन्न दायित्वों के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी मृत्यु से पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शीला दीक्षित जी का भी देहांत हुआ है। वे लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्य मंत्री रहीं। सहजता और सरलता उनके जीवन की पहचान थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में वर्षों तक काम किया, इस नाते उनको वहां तो जाना ही जाता है लेकिन पूरे देश में भी एक योग्य और स्वच्छ नेता के रूप में उनको जाना जाता है। उनका दुखद देहांत हुआ है। उनके प्रति भी मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस बरसात के मौसम में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे आपके बीच यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले तीन दिनों में भारी बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश में सड़कें और पुल टूट गए हैं, बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है, वाटर सप्लाई की स्कीमें प्रभावित हुई हैं तथा बहुत सारे लोगों की जान चली गई। पिछले तीन दिनों में ही हिमाचल प्रदेश में 25 लोगों की जान गई है। मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सोलन के कुमारहट्टी के पास भी एक दुखद घटना घटित हुई थी जहां 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी जिसमें सेना के 13 जवानों की मौत हो गई जो

कि असम राइफल से सम्बन्धित थे। इस घटना के बाद मैं स्वयं वहां गया था और वह बहुत ही दुखद घटना थी। सभी नौजवान बहुत ही छोटी आयु के थे जो कि पार्टी करने वहां गए थे, होटल की बिल्डिंग कोलैप्स हो गई जिसमें वे फंस गए । उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाढ़ के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी जो शोक प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाए हैं, मैं उसमें अपने दल को भी शामिल करता हूं।

19.8.2019/1425/av/hk/1

पिछले सत्र और मौजूदा सत्र के बीच माननीय तीन पूर्व सदस्य जिन्होंने कभी इस सदन को सुशोभित किया तथा इस सदन की शान रहें वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम उनको सदन के माध्यम से याद करते हैं और जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश व अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सेवाएं दीं उसके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

पंडित शिव लाल जी, जैसे कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इनके चुनावी हलके से थे और वर्ष 1985 से 1990 के दौरान एक दफ़ा एम0एल0ए0 रहे। वे हमेशा सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी सोसाइटी बनाई जिसके वे 15 साल तक अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त वे पंचायत के प्रधान भी रहे और कर्मचारी भी रहे। लेकिन कोऑपरेटिव मूवमैंट से उनका काफी जुड़ाव रहा। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो शिमला में स्थापित है उसके वे दो बार चेयरमैन रहे। उनका अपना एक दमदार व्यक्तित्व था और अपनी बात को डंके की चोट पर रखते थे। मुख्य मंत्री जी ने जैसे यहां पर कहा कि वे चेन स्मोकिंग करते थे जिस पर वे कभी रोक नहीं लगा पाये अन्यथा उनका व्यक्तित्व एक यादगार व्यक्तित्व है। हम उनकी सेवाओं को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।

चौधरी विद्या सागर जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए। वे कर्मचारी नेता रहे और लम्बे समय तक कर्मचारी नेतृत्व को लीड करते रहे। ओ0बी0सी0 के प्रतिनिधित्व के लिए भी उन्हें विशेषतौर पर जाना जाता है। कांगड़ा और ओ0बी0सी0 उनकी मूलतः दो कमजोरियां थीं जिसकी वे हर मौके पर चर्चा करते थे। वे चार बार एम0एल0ए0 रहे, मंत्री रहे और कांगड़ा की आवाज भी बनें। मैं उस समय पत्रकार हुआ करता था और कई मौकों पर वे बार-बार कहा करते थे कि कांगड़ा की बात है

मैं तो रिज़ाईन कर दूंगा या फिर ओ0बी0सी0 की बात है; मैं रिज़ाईन कर दूंगा। फिर हम उनको यह कहा करते थे कि देखना कोई ऐक्सैप्ट ही न कर लें। लेकिन इन दो बातों के बारे में जब भी कोई मुद्दा आया तो उन्होंने हमेशा इन दोनों मुद्दों को बड़ी ताकत से रखा। वर्ष 1982 से वर्ष 1998 के दौरान वे एम0एल0ए0 और मंत्री रहें।

श्री शिव कुमार उपमन्यु जी जिनकी 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है वे हमारी विधान सभा के पहले अध्यक्ष श्री जयवन्त राम जी के सुपुत्र रहे। उनको एक अच्छी विरासत मिली हालांकि उन्होंने वकालत की थी जिसकी वजह से वे एक बहुत अच्छे वक्ता भी थे। वे लोक सम्पर्क विभाग में डी0पी0आर0ओ0 रहे और वर्ष 1977, वर्ष 1982 तथा वर्ष 1990 में वे तीन बार एम0एल0ए0 चुने गए और शिक्षा मंत्री भी बने। उस समय शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार का समय था। उस दौरान बड़ी मात्रा में प्राथमिक स्कूल खोले गये तो उन्होंने जे0बी0टी0 शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए काफी कार्य किया। अभी पीछे उनको पैरालाइटिक स्ट्रोक हो गया था जिस वजह से वे अस्वस्थ रहे। जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था तो उनको 85 प्रतिशत वोटें पड़ी थीं।

19/08/2019/1430/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जो शोकोद्गार प्रस्ताव भेजेंगे, उसमें हमारे दल की संवेदनाएं भी शामिल की जाए।

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कई स्थानों पर जानमाल की बहुत हानि हुई है। इसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनके परिवारों को भी उचित मदद प्रदान की जाए। खासतौर पर जिन व्यक्तित्व का माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर ज़िक्र किया है। कुछ दिन पहले कुमारहट्टी का हादसा हुआ जिसमें असम राइफल के जवान मारे गये। वे एक पार्टी के लिए वहां पर आये हुए थे। जहां तक व्यवस्था की बात है, वह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वे लोग हमारे प्रदेश के अंदर एक हादसे का शिकार हुए हैं। हम उनके परिवार के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।

पिछले सत्र के पश्चात् दो महान हस्तियां श्रीमती सुषमा स्वराज और श्रीमती शीला दीक्षित भी इस संसार से चली गईं। जिन्होंने महिला होते हुए भी उस दौर में अपना स्थान बनाया जबकि महिलाएं राजनीति में बहुत कम आती थीं। श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने राजपनीति के अपने अंतिम चरण में विदेश में फंसे भारतीयों के लिए जो प्रयास किए उनकी चर्चाएं पूरे देश में हुईं। उन्होंने इसके लिए सच्चे मन से प्रयास किये। श्रीमती शीला दीक्षित जी को हमेशा आधुनिक दिल्ली के निर्माता के रूप में व फ्लाई ओवर /मैट्रो आदि की देन के लिए याद किया जाएगा। सारे देश ने इन दोनों विभूतियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नमन किया है। हम भी इसमें अपने आप को शामिल करते हैं।

इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस दौरान सड़क हादसों में जो लोग मारे गये, उनको भी इस शोकोद्गार प्रस्ताव में शामिल करें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी शोकोद्गार प्रस्ताव में भाग लेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने स्वर्गीय पंडित शिव लाल, चौधरी विद्या सागर व श्री शिव कुमार उपमन्यु, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर जो शोकोद्गार प्रस्ताव रखा है, मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करता हूं।

स्वर्गीय चौधरी विद्या सागर जी मूलतः जिला कांगड़ा के रहने वाले थे। वर्ष 1992 से वर्ष 2015-16 तक मैंने उनके साथ संगठन व सरकार में काम किया। मैं यह कह सकता हूं कि चौधरी विद्या सागर जी मृदु भाषी व मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और सबको साथ लेकर चलने की कला भी उनमें बखूबी थी। जिस बिरादरी से उनका संबंध था, उस बिरादरी के मुद्दों को लेकर हमेशा यथा उचित स्थान पर उठाते थे। वे अपनी बात को बहुत ही वाकपुटता से रखते थे।

19-08-2019/1435/NS/YK/1

राजनीति में प्रवेश से पहले वे अराजपत्रित कर्मचारी संघ के नेता रहे और उनके पास जिला कांगड़ा की अलग-अलग जिम्मेवारियां रही। फिर वे राजनीतिक क्षेत्र में आए और उन्होंने पहला चुनाव वर्ष 1982 में लड़ा। उन्होंने वर्ष 1982, 1985, 1990 और 1998 में लगभग चार चुनाव जीते और उनके पास सरकार में रहते हुए अलग-अलग जिम्मेवारियां रहीं। जैसे कहा गया कि उनके पास सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग और वर्ष 1998 में कृषि विभाग भी रहा। मेरा उनसे अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। जब मैं अंतिम बार उनसे मिला तो वे अस्वस्थ थे, उनको आंखों की कुछ समस्या थी। लेकिन वे हमेशा राजनीतिक विषयों को ले करके संवेदनशील रहते थे। जब मैं उनसे मिला तो लोकसभा के चुनाव नजदीक थे। वे सुझाव देते थे और उनका कुछ मुद्दों को ले करके आग्रह था। वे कहते थे कि आप सरकार के पास इन विषयों को ले करके जरूर मेरा पक्ष रखें। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उससे कुछ दिन पहले मैं भी माननीय

मुख्यमंत्री जी के साथ उनके घर गया था। पूरा परिवार ड्राईंग रूम में बैठा हुआ था । उन्होंने हमें कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और आप सब साथी यहां आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी उनसे मिलने के लिए गया था तो वे कह रहे थे कि मैं चार बार विधायक रहा हूं लेकिन मुझे इस बार बहुत संतुष्टि है। मैं उम्र दराज़ व्यक्ति हूं परन्तु मेरे पास लोग आते रहते हैं और सलाह लेते हैं। मुझे खुशी है कि जो मैंने कभी वर्ष 1998 में सोचा था कि इस देश के किसानों की आय में वृद्धि होनी चाहिए, वह आज मैं देख रहा हूं। क्योंकि इनका संबंध भी किसान परिवार से था। वे अपने आपको प्रसन्नचित्त महसूस कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी विद्या सागर जी की अकस्मात मृत्यु हुई है। उनका हमारे समाज, पार्टी और इस विधान सभा तथा जिला कांगड़ा व प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्य श्री शिव कुमार उपमन्यु जी हमारी ही लोकसभा यानी चम्बा के मूलतः निवासी थे और इनके साथ हमारा मिलना जुलना काफी था। हम जब कभी भी उनसे मिले तो उनके और हमारे बीच में जो जनरेशन गैप या उम्र का अंतर था ऐसा कभी उन्होंने हमें एहसास नहीं होने दिया। वे हमेशा सहज रूप से बात करते थे और अपनी बात को अगर हम लोगों तक पहुंचाना भी है तो बड़ी आत्मीयता से बात करते थे।

19.08.2019/1440/RKS/AG-1

उन्होंने शाहपुर के नज़दीक गांव में अपना घर बनाया था। सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान मुझे उनके घर जाने का कई बार अवसर मिला। एक बार जब वे बहुत बीमार थे तो उस समय भी उनका हाल-चाल पूछने के लिए मुझे उनके घर जाने का मौका मिला। वे बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। उनका हमारे प्रति बहुत प्रेम था और यही कारण है कि आज भी उनकी बात हमेशा मन में उजागर होती रहती है। राजनीति में आने से पहले वकालत करना, कोओपरेटिव मूवमैंट से जुड़े रहना, राजनीतिक क्षेत्र में आना और फिर शिक्षा मंत्री एवं उद्योग मंत्री के रूप में अपना परफोर्म करना, इन चीजों की कभी पूर्ति नहीं हो सकती।

आज वे हमारे मध्य में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को इस प्रस्ताव के माध्यम से अपनी संवेदनाएं भेजता हूं।

इसी तरह पंडित शिव लाल जी गांव कुठेड़, तहसील चच्योट, जिला मंडी के रहने वाले थे। वे भी इस माननीय सदन के सदस्य रहे लेकिन वे आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को इस असहनीय घड़ी को सहन करने की शक्ति दे।

भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण के रूप में जाना जाने वाली स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को हमने सार्वजनिक मंचों व पार्लियामैंट में बहुत सुना है। वे बड़े प्रभावशाली तरीके से अपना पक्ष रखती थी लेकिन वे आज हमारे बीच में नहीं है।

इसी तरह आदरणीय शीला दीक्षित जी जो तीन बार दिल्ली की मुख्य मंत्री रह चुकी है और दिल्ली के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, मैं उन दोनों विभूतियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान स्वर्ग में उनको अपने चरणों में स्थान दें।

इसी तरह स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी जो गोवा के मुख्य मंत्री और भारत सरकार में रक्षा मंत्री थे, एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जिसके खिलाफ उन्होंने काफी जद्दोजहद की और जिंदगी के अंतिम क्षण तक वे उस बीमारी से लड़ते रहे। परंतु जैसे भगवान को मंजूर था अंत में मृत्यु ने उन्हें अपने पंजे में ले लिया और वे इस दुनिया से अलविदा हो गए। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। हमारे ऐसे सभी साथी जिनका राजनीतिक क्षेत्र में काफी योगदान रहा, उनके लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अंत में, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो शोकोद्गार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें हमारा नाम भी शामिल किया जाए।

19.08.2019/1440/RKS/AG-3

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी अपने उद्‌गार प्रस्तुत करेंगे।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शोकोद्‌गार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। मैं अपनी संवेदना देते हुए इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि वे एक पीढ़ी के जनसेवक थे।

19.08.2019/1445/बी0एस0/ए0जी0-1

अगर हम इन व्यक्तियों के जीवन संबंधी इतिहास को देखें तो मालूम होता है कि भले ही ये लोग अलग- अलग विचारों के रहे हों परंतु समाज के प्रति इनका कार्य एक ही प्रकार का रहा है। आज हम सब जन प्रतिनिधि उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकते जो उन्होंने करने के लिए सोचे थे। वर्ष 1977 में श्री शिव कुमार उपमन्यु जी विधान सभा के सदस्य चुने गए थे। इस संबंध में मैं बहुत साफ-साफ तो नहीं बता सकता परंतु उस समय आदरणीय शांता कुमार जी मुख्य मंत्री बने थे और श्री शिव कुमार जी जनता पार्टी से चुनाव जीतने के बाद उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार संभला था। हम उस समय बहुत छोटे थे। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उस समय विश्वविद्यालय में बहुत से जन आंदोलन हो रहे थे। श्री शिव कुमार उपमन्यु जी ने उस समय उन आंदोलनों के इश्यूज को ही हल नहीं किया परंतु सरकार का दायित्व जो शिक्षा के प्रति रहता है उस दायित्व को भी बहुत बखूबी के साथ निभाया था। मैंने अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज ये लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत दुःख है।

इसी तरह मैं चौधरी विद्यासागर जी के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं कभी भी व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिला। लेकिन वे ओ0बी0सी0 के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहे। वे सच में एक हीरो थे। जब भी हिमाचल प्रदेश में या देश के अंदर ओ0बी0सी0

संबंधी प्रश्न सामने आएंगे तो मैं समझता हूं कि चौधरी विद्यासागर जी को हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें हमेशा एक पर्याय के रूप में जाना जाएगा।

स्वर्गीय पंडित शिव लाल जी का यहां पर जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया है कि वे इन्हीं के चुनाव क्षेत्र से थे। लेकिन हिमालच प्रदेश में कोओपरेटिव मूवमैंट को विकसित करने के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी व स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के बारे में शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, मैं भी अपने को उसमें शामिल करता हूं। जैसा सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर आरम्भ किया था। दोनों ने ही देश की राजनीति में एक गहरी छाप छोड़ी है।

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण पिछले दिनों भारी तबाही हुई है उसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। उन सभी परिवारों के साथ हम सब मजबूती से खड़े हैं। जिन परिवार ने अपनों को खोया है ईश्वर उन्हें इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शोकोद्गार प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया गया है, मैं उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं। मैं पूर्व परिवहन मंत्री आदरणीय जी0एस0 बाली जी के जन्म दिवस पर वहां गया था तो वहां चौधरी विद्या सागर जी से भेंट हुई थी। उनकी आयु 92 वर्ष की थी। लेकिन इस उम्र में भी उनसे मिलने के बाद कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा थी। जब भी वे बात करते थे तो

उनकी बातों में बहुत जोश था। अभी तक उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। परंतु मृत्यु के कुछ दिन पूर्व से उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था और वे

19.08.2019/1450/डी0टी0/डी0सी0/1

हम सब लोगों को अलविदा कह कर चले गए। लेकिन जब भी वे मिलते थे,वे हमेशा एक ही बात करते थे कि हमें सादगी भरी जिन्दगी जीनी चाहिए। अगर राजनीति में है तो ईमानदारी से राजनीति करनी चाहिए और सेवा भाव की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। राजनीति में रहते हुए भी नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति उनसे मिलता था तो वे यह बात हमेशा कहते थे कि यदि जीवन में पारदर्शिता हो तभी आप राजनीति में आगे जा सकते हैं और लम्बी उम्र पा सकते हैं। जो भी इस समाज में आया है उसे एक दिन जाना है लेकिन राजनीति में जो लोग आए होते हैं उनके जीवन में तरह-तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन शिव कुमार जी, एक ऐसे व्यक्ति थे जब तक वे राजनीति में रहे इमानदारी से और सरलता से अपने जीवन को जिया। हमारी सच्ची श्रद्वांजलि उनको यही होगी की जो उनके द्वारा र्मागदर्शन दिया गया है उसको अपनाएं। पंडित शिव लाल जी सराज विधान सभा क्षेत्र से संबंधित थे और वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं। जब मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था तो वे अनुशासन समिति के सदस्य थे। वे बड़े गर्म और कड़े स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बार जो ठान लेते थे ,उससे उनको पीछे लाना बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने अपने जीवन में जब कभी राजनीतिक परिभाषा को परिभाषित करने की कोशिश की या राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश की तो वे कभी उससे पीछे नहीं हटे। कांग्रेस पार्टी उनको सच्ची श्रद्वांजलि देती है।

चौधरी विद्यासागर जी से हमारा ज्यादा परिचय नहीं है। एक आधी बार उनसे मिलने का मौका मिला है लेकिन वे ओ0बी0 सी0 में 'घीर्थ' जाति से संबंध रखते थे। यह जाति कांगड़ा जिला और हमीरपुर जिला में एक प्रभावित जाति है और इसके उत्थान के लिए वे काफी लोकप्रिय थे। वे शांता कुमार जी के काफी नजदीकी थे। ओ0बी0सी0 जाति से संबंधित मांगे जब भी होती थी उनका प्रतिनिधित्व बड़े अच्छे तरीके से करते थे जिसके लिए उनका नाम आदरणीय शब्दो में आता था।

इसके अलावा स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी जो तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, जिन्होंने दिल्ली में नए आयाम स्थापित किए, चाहे मैट्रो की बात थी, चाहे फलाई ओवर की बात थी या जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता था तो वे उसकी बात बड़ी गौर से सुनती थी। वे भी हम सब लोगो को छोड़ कर हमारे बीच से चली गई।

इसी तरह श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वे भी आज हमारे बीच में नही है।

मनोहर पर्रिकर जो हमारे रक्षा मंत्री और गोआ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा उस पत्र में उन्होंने कुछ शब्द लिखे की मैं अन्तिम समय और अन्तिम सांसे गिन रहा हूं। वह पत्र अखबार में प्रकाशित हुआ और मैं आज यह महसूस करता हूं कि जब कोई व्यक्ति अन्तिम समय में अन्तिम सांसे गिन रहा हो तो उसे अपने परिवार का ख्याल आता है और परिवार के ही सदस्य सिर्फ साथ होते है। यह उन्होंने अपने पत्र में बयान किया। वह भी हम सबको छोड़ कर चले गए ।

बाढ़ में जो दुर्घाटनायें हुई जिसमें काफी लोगों की जाने गई कांग्रेस पार्टी उसमे अपने आप को सम्मिलित करती है। बंजार के पास एक बहुत बड़ा बस हादसा हुआ। निजी बस का हादसा हुआ जिसमें लगभग 40 लोगो की जाने गई। कांग्रेस पार्टी उसमे भी अपने आप को सम्मिलित करती है और शिमला शहर में झंझीडी के पास दो प्यारी नन्नी बेटियां जो हम सबको छोडकर चली गई है, चैलसी स्कूल जा रही थी। कांग्रेस पार्टी उसमें भी आपने आपको सम्मलित करती है और कुमारहट्टी में जो घटना घटी जहां एक ढ़ाबे में 20 - 25 के करीब जिसमे माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर से गये, उसमें भी कांग्रेस पार्टी अपने आपको सम्मिलित करती है। जो शोकोद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, हम सब लोग इसमें अपने आप को सम्मिलित करते है। धन्यवाद।

19-08-2019/1455/डी.सी.-एन.जी./1

अध्यक्षः एक सूचना, माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जरयाल ने दी है और उस सूचना को हमने उपायुक्त चम्बा से भी कन्फर्म किया है। श्रीमती पदमा सिंह जी, जो 1972 में इस माननीय सदन की सदस्या रही है, उनका देहांत आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व 29-08-2017 को हो गया था। किन्हीं कारणों से पूर्व में उनके प्रति शोकोद्गार नहीं हो पाया। तो माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह जरयाल जी आज उनके लिए शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे। हम यह मान कर चलेंगे की माननीय मुख्य मंत्री जी व अन्य इसमें शामिल हैं।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं अपने आप को सम्मलित करते हुए, स्वर्गीय पंडित शिव लाल जी, चौधरी विद्या सागर जी, श्री शिव कुमार उपमन्यु जी और रानी पदमा सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, रानी पदमा सिंह जी 22 अगस्त, 1924 को जम्मु और कश्मीर में स्वर्गीय बहादुर सिंह जी के घर जन्मी थी। वह जिला चम्बा की पहली महिला विधायिका बनी। वह अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी। उनके दादा जनरल पंजाब सिंह जम्मु और कश्मीर की राज्य सुरक्षा बलों में श्री प्रताप सिंह की सेना में सम्मलित थे। उनका परिवार जम्मु और कश्मीर के सबसे बड़े जमींदार परिवारों में से माना जाता था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा श्रीनगर के कान्वेंट स्कूल से ग्रहण की और जम्मु-कश्मीर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1946 में चम्बा के राजा श्री भुरी सिंह जी के पौत्र और राजा कुमार केसरी सिंह के पुत्र श्री गुलाब सिंह जी (टिका साहब) से उनकी शादी हुई थी। उनका एक बेटा और तीन बेटिया हुई। वर्ष 1972 में वह विधानसभा क्षेत्र भटियात की विधायिका चुनी गई और जिला चम्बा की पहली नारी विधायक बनी। उनकी सोच बहुत ही प्रगतीशील और वह बालिकाओं की शिक्षा के प्रति कठोर दृष्टिकोण रखती थी। उन्होंने

अपनी बेटियों को भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने भेजा जबकी राजघरानों में बेटियों को घरों में ही शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी और बेटियों को स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजा करते थे। वह चम्बा जिला के सामाजिक कल्याण की पहली संयोजक बनी और यह नियुक्ति उन्होंने वर्ष 1960 में हिमाचल प्रदेश के उस समय के उप-राज्यपाल राजा बजरंग बहादुर जी से प्राप्त की थी। उन्होंने अपने निवार्चन क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं को समझते हुए दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का जाल बिछवाया। वर्ष 1972-73 में जब मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता था तो वह मेरे स्कूल में भी आई थी। उस समय इतनी सड़के नहीं होती थी और वह पैदल गांव-गांव जा रही थी और उस समय हमें उनसे मिलने का मौका मिला। उस समय वह रायपुर से समौट टुंडी और जोत से होते हुए करियां-भरियां से चम्बा पैदल पहुंची थी। वह बहुत ही सशक्त और कठोर महिला थी। एक गांव मैहला को सड़क के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने रावी नदी पर एक पैदल पुल (जिसे हम खाटरी भी बोलते हैं) तैयार करवाया था। लोगों को उनकी कार्यशैली पर बहुत भरोसा था और इसी कारण कोई भी कभी उनके पास शिकायत लेकर नहीं जाता था। उसके बाद उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और अपने निवार्चन क्षेत्र के लोगों से विनती की कि

19/08/2019/1500/RG/HK/1

मुझे परिवार की अधिक आवश्यकता है और मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा रहना चाहती हूं। वे बहुत कर्मठ और स्वयं निर्णय लेने वाली महिला थीं। 29 अगस्त, 2017 को उनका देहान्त हो गया। अक्तूबर, 2013 में इन्हें हिमाचल प्रदेश विधान सभा में स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष में 'लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड' से भी नवाज़ा गया था।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पण्डित शिव कुमार जी के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि वे मेरे विधान सभा क्षेत्र से थे।

अध्यक्ष महोदय, पण्डित शिव कुमार उपमन्यु जी 27 मई, 1927 को नगर चम्बा में पैदा हुए थे। उन्होंने दसवीं की शिक्षा चम्बा में ग्रहण की।

अध्यक्ष : आप उनके परिवार का वृतान्त न दें, आप अपने आपको इस शोकोद्गार में शामिल कर दीजिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : पण्डित शिव कुमार जी बहुत सरल स्वभाव, मृदुभाषी, ईमानदार और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके कार्यों को आज भी उत्कृष्ट मानकर सराहा जाता है। विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वे पहले मंत्री थे जो पैदल पांगी गए थे और आदरणीय वीरभद्र सिंह जी जब सांसद थे, तो ये भी पहली बार पैदल पांगी गए थे।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पण्डित शिव कुमार की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दें। अध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अनेक माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी, श्री अशीष बुटेल जी, श्रीमती आशा कुमारी जी, सभी ने अपनी ओर से संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए कहा है। हम सभी के नाम इसमें शामिल करते हैं। श्रीमती आशा कुमारी जी एक करेक्शन करना चाहती हैं।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, जितने शोकोद्गार यहां रखे गए, इनमें तो हम सब शामिल हैं ही। श्री बिक्रम सिंह जरयाल जो भटियात के माननीय विधायक हैं, इन्होंने जिनके बारे में अपना शोकोद्गार प्रकट किया तो वे रिश्ते में मेरी ताई सास लगती थीं, मैं सिर्फ इतना करेक्शन करना चाहती हूं कि इन्होंने कहा कि वे चम्बा से पहली महिला विधायक थीं, तो मैं कहना चाहूंगी कि वे दूसरी महिला विधायक थीं, पहली महिला विधायक तो रानी देवेन्द्रा कुमारी जी वर्ष 1962 में थीं, वे भी उसी राज परिवार से थीं, वे मेरी सास लगती थीं और ये मेरी ताई सास लगती थीं और वर्ष 1972 में ये विधायक बनीं। उसी राज परिवार से तीसरी महिला विधायक मैं हूं। चम्बा से तीन ही बनी हैं और तीनों एक ही परिवार से हैं। मैं सिर्फ यही करेक्शन करना चाहती थी। बाकी इस शोकोद्गार में मैं आपके

साथ पूरी तरह से शामिल हूं। She was the second female MLA from the same family. Thank you, Sir.

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जोकि सदन के नेता हैं, उन्होंने स्वर्गीय पण्डित शिव लाल जी, चौधरी विद्या सागर जी एवं स्वर्गीय श्री शिव कुमार उपमन्यु जी के निधन पर शोक व्यक्त किया और साथ ही श्रीमती पदमा जी जो पूर्व में सदस्य रही हैं, किन्हीं कारणों से उनके प्रति शोकोद्गार सदन में प्रस्तुत नहीं हो पाया। वर्ष 2017 में उनका निधन हो गया था। मैं अपने आपको इन शोकोद्गार प्रस्तुतीकरण में शामिल करता हूं।

इसके साथ ही स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी एवं स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर जी और एक नाम जो पूर्व में मुख्य मंत्री रहे श्री जयपाल रेड्डी जी का निधन भी इसी अवधि के दौरान हुआ। उन सबके प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इसी दौरान बाढ़ के कारण और अन्य दुर्घटनाओं में जो त्रासदियां हुईं, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए इस सदन के सभी सदस्यों को शामिल करते हैं

19/08/2019/1505/MS/HK/1

और जो संवेदनाएं इस सदन में व्यक्त की गई हैं, उनको उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं माननीय सदन में उपस्थित सभी से आग्रह करूंगा कि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के लिए कुछ क्षणों के लिए अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

(दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु सदन में कुछ क्षणों के लिए मौन रखा गया)

अध्यक्षः आज के लिए निर्धारित तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न कार्यवाही का भाग माने जाएंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूं और यह एम0एल0एज0 के

इन्स्टीच्यूशन और एम0एल0ए0 की डिग्निटी का सवाल है कि एम0एल0ए0 को किस ढंग से..,

अध्यक्षः मुकेश जी, क्या आप नियम-67 के बारे में बोल रहे हैं? कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मुझे आज प्रातःकाल माननीय सदस्य सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री जी, राम लाल ठाकुर जी, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी व श्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है और इसी विषय के ऊपर माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी द्वारा नियम-62 के अंतर्गत भी एक सूचना प्राप्त हुई है। मैंने विस्तृत जानकारी के लिए सरकार को उसको प्रेषित कर दिया है और नियम की परिधि के अंदर हम इसमें आपको चर्चा अलाऊ करेंगे। जब हम चर्चा अलाऊ करेंगे, उस समय आप उस पर बोलिए और सरकार उसमें उत्तर दे तो अच्छा रहेगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, नियम-67 के तहत जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मसला हो, उसको उठाया जाता है। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हम 4 या 8 महीने पुराना मसला उठा रहे हैं। यह बिल्कुल ज्वलंत मसला है और हमारे ऊना के विधायक श्री सतपाल सिंह रायजादा जी के साथ जिस ढंग से राजनतिक साजिश के तहत पुलिस एक्शन करवाया गया है, यह बड़ा चिन्तनीय विषय है।

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी, इस विषय पर बोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। हमारे पास 11 दिन हैं और जो-जो भी विषय आप देंगे, हम सभी पर चर्चा देंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि पहले आप विषय को सुन लें, उसके बाद आप निर्णय दें।

अध्यक्षः मैं निर्णय दूंगा लेकिन यदि आप निर्णय से पहले ही बोलेंगे तो ठीक नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस सदन के सदस्य हैं और अगर हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है तो उसकी इम्पोर्टैंस समझी जानी चाहिए कि किस ढंग से एक विधायक के ख़िलाफ साजिश रची गई। सारा सदन माफिया के ख़िलाफ है, चाहे वह शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, वन माफिया हो चाहे कोई माफिया हो लेकिन

माफिया की आड़ में एक माननीय सदस्य को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा।

अध्यक्षः मुकेश अग्निहोत्री जी, 11 दिन तक अभी सदन चलना है लेकिन बिना अनुमति के बोलना ठीक नहीं है। मैंने नियम-67 के तहत बोलने की आपको अनुमति ही नहीं दी है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आप ही बताइए कि हम किस लोकतन्त्र में रह रहे हैं कि आज के ज़माने में माननीय विधायक के गनमैन और ड्राइवर को हथकड़ियां लगा दीं? (.. व्यवधान..)

19.08.2019/1510/जेके/वाईके/1

....(व्यवधान).... आप हथकड़ियां लगा रहे हैं। ....(व्यवधान)....

Speaker: Not to be recorded. बिना परमिशन के नहीं बोलेंगे। ....(व्यवधान)....
माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्रीः आप लोग मेरी बात तो सुन लो। आपकी बात यहां पर आ गई है। माननीय अध्यक्ष जी, नियम-67 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर किसी विधायक की बात है तो वह प्रिविलेज मोशन दे सकता है। यह प्रिविलेज का मामला हो सकता है या नियम-62 के अन्तर्गत नोटिस में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा हो सकती है। ....(व्यवधान).... विधायक से क्या माफिया राज करवाएंगे? माफिया, माफिया को ही सेव कर रहे हैं और सदन में बात उठा रहे हैं।....(व्यवधान).... अब माफिया राज नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ....(व्यवधान).... माफिया राज नहीं चलेगा। ....(व्यवधान).... आप प्रिविलेज करो। माफिया राज नहीं चलेगा। अगर आपको यह मैटर उठाना है तो उसको आप नियम के अन्तर्गत उठाएं। ....(व्यवधान).... प्रिविलेज मोशन करो और नियम-62 के अन्तर्गत चर्चा करो। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। शराब माफिया चर्चा ही नहीं करना चाहता। फिर बिना चर्चा के कैसे

चलेगा। ....(व्यवधान).... अब शराब माफिया नहीं चलेगा। आप लोग बैठ करके सुनो। आप लोग प्रिविलेज करो। ....(व्यवधान)....

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य वैल में आ कर नारेबाजी करने लगे।)

19.08.2019/1515/SS-YK/1

(कांग्रेस के सभी सदस्य सभामण्डप में शोरोगुल व नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्षः प्लीज़। काफी हो गया।

19.08.2019/1520/केएस/एजी//1

(कांग्रेस के सभी सदस्य सभामण्डप में बैठकर नारेबाजी करते रहे)

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

19.8.2019/1540/av/hk/1

सदन की बैठक 3.40 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी (...व्यवधान...) नहीं देखिए, मुझे नियम-67 के तहत वार्ता नहीं करनी है। देखिए, एक बार निर्णय दे दिया है कि नियम-67 के तहत चर्चा नहीं हो सकती। (...व्यवधान...) नियम-67 के तहत चर्चा नहीं हो सकती। (...व्यवधान...) प्लीज़, बैठ जाइए। (...व्यवधान...)

19/08/2019/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य बैल में आकर नारेबाज़ी करते रहे)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः क्या यह गुनाह है? (...व्यवधान...)

अध्यक्षः प्लीज बैठिये। (...व्यवधान...)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः यह ठीक नहीं है, (...व्यवधान...)

अध्यक्षः माननीय सदस्य यहां आकर चर्चा न करें। (माननीय मुख्य मंत्री की कुर्सी के नज़दीक)। (...व्यवधान...)

19-08-2019/1550/NS/HK/1

सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपनी सीटों पर जाएं। ---(व्यवधान)--- कृपया सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। ---(व्यवधान)---

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आ करके नारेबाजी करते रहे।)

माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी माननीय सदस्य तुरंत अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। ---(व्यवधान)---

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अब माननीय मुख्यमंत्री सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

1. सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 2019 शोकोद्गार, शासकीय/विधायी कार्य,
2. मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त, 2019 शासकीय/विधायी कार्य,

3. बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2019 शासकीय /विधायी कार्य

4. वीरवार, दिनांक 22 अगस्त, 2019 गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस

5. शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 2019 शासकीय/विधायी कार्य

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा, सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 4);

(2) हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 5);

(3) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 6);

(4) हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 7);

(5) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 8); और

(6) हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 9)।

अध्यादेश

अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री, श्री जय राम ठाकुर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 08.08.2019 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चत मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 08.08.2019 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चत मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखता हूं।

19.08.2019/1555/RKS/HK-1

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम-62 के अंतर्गत श्री विक्रमादित्य सिंह अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय शहरी विकास मंत्री चर्चा का उत्तर देंगी।

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य, माननीय सदन से बहिर्गमन कर गए।)

श्री विक्रमादित्य सिंहः अनुपस्थित।

अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कृपया शालीनता बनाए रखें। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की विचित्र परिस्थिति मैंने माननीय सदन में कभी नहीं देखी। माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी अपना विषय रखना चाहते थे लेकिन उन्हें हाथ पकड़ कर बाहर ले जाया गया। वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहना चाहते थे।

(माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह एवं विक्रमादित्य सिंह जी सदन में वापिस आए और सत्तापक्ष के साथ नोकझोंक करने लगे।)

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह विपक्ष के साथी स्थिति निर्मित्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)... माननीय अनिरूद्ध जी मैं अपने विषय पर बोल रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय अनिरूद्ध जी, यदि आप सदन के अंदर हैं तो कृपया बैठ जाइए और बाहर है तो अपना निर्णय कीजिए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सरकार माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। एक माफिया कितना सशक्त हो सकता है जिसने एक पार्टी के सारे दल को उठाकर वेल में खड़ा कर दिया। आखिरकार यह क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? पूरा

19.08.2019/1555/RKS/HK-2

विधायक दल अपने स्थान से उठकर वेल में आ गया क्योंकि हमने माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। हमने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जो कार्रवाई हुई है, वह माफिया के खिलाफ हुई है।

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन में वापिस आए।)

आप लोगों ने क्या मज़ाक बना रखा है? आप लोगों द्वारा माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है और यही वजह है कि आपको लोगों ने सत्ता से बेदखल करके बाहर भेज दिया। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष जी, इससे गंभीर विषय नहीं हो सकता।

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते रहे।)

माफिया को संरक्षण देने के लिए पूरा विधायक दल खड़ा हो गया इससे शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने वस्तुस्थिति रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... माफी किस बात की ? यह कार्रवाई विधायक के ख़िलाफ नहीं है। यह कार्रवाई माफिया के ख़िलाफ है और आप आप लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। आप लोगों ने देवभूमि को शर्मसार किया है।

19.08.2019/1600/बी0एस0/वाई0के0-1

इससे घटिया प्रदर्शन नहीं हो सकता। आपने देव भूमि को शर्मसार किया है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे)

...(व्यवधान)...

19.08.2019/1605/डी0टी0/वाई0के0/1

(सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से नारेबाजी) ...(व्यवधान)...

19-08-2019/1610/ऐ.जी.-एन.जी./1

(...व्यवधान...)

अध्यक्षः प्लीज, बैठ जाइए।

<u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी नियम-130 के अंतर्गत अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री राकेश जम्वालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह माननीय सदन नियम-130 के अंतर्गत **"जल परिवहन नीति पर विचार करे।"**

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "जल परिवहन नीति पर यह सदन विचार करे।" अब नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी अपनी बात रखें।

श्री राकेश जम्वालः अध्यक्ष महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में अन्तर्देशीय जल मार्गों का विशेष महत्व रहा है।

19/08/2019/1615/RG/AG/1

(कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक वैल में नारेबाजी करते रहे)

जल-मार्गों को हम प्राकृतिक पथ भी कहते हैं। यही प्राकृतिक पथ कभी हमारी परिवहन की जीवन-रेखा हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ आए बदलावों एवं परिवहन के आधुनिक साधनों के चलते बीती एक सदी में यह क्षेत्र उपेक्षित होता गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल-मार्गों का एक विशेष महत्व रहा है। अन्तरदेशीय जल परिवहन के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया का सिरमौर रहा है, जिसकी दुनिया के कई देशों ने नकल भी की है। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने रेल एवं सड़कों पर जोर दिया और

जल परिवहन की उस समय उपेक्षा हुई। लेकिन आजादी के बाद भी यह क्रम जारी रहा और यह तन्त्र पिछड़ते हुए आखिरी सांसे गिनने लगा। हालांकि आजादी के बाद हमारे योजनाकारों ने परिवहन के सभी साधनों के बीच संतुलन स्थापित करने के इरादे से कई योजनाएं बनाईं। लेकिन जल परिवहन को उसमें प्राथमिकता नहीं दी गई। परन्तु वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जल मार्गों के विकास के लिए इसको खास एजेण्डे में रखा और आज हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद यह पहला मौका आया जब देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार ने 101 राष्ट्रीय जल मार्गों की घोषणा की और उस दिशा में हमारी केन्द्र की सरकार आगे भी बढ़ी है और आने वाले समय में पांच वर्षों में जल मार्गों के विकास पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। मोदी जी की सरकार का प्रयास है कि राज्यों में भी सरकारें राज्य के जल मार्गों को विकसित करें, छोटी-बड़ी नदियों को विकसित किया जाए और उनके जल मार्गों को विकसित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में बड़ी नदियां हैं और उन नदियों के किनारे, उनकी सहायक नदियां हैं। उन नदियों के किनारे पर बहुत कुछ देखने लायक है क्योंकि हिमाचल की प्राकृतिक सुन्दरता जिससे हम सब लोग भलीभांति परिचित हैं, नदियों के किनारे तमाम अनूठी सांस्कृतिक गतिविधियां तथा मेले के पर्व भी होते हैं। इसलिए पर्यटन की व्यापक संभावनाएं भी अन्तरदेशीय जल परिवहन में छिपी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जल क्रीड़ाएं एवं नौकायन की काफी संभावनाएं हैं जिससे हिमाचल के बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर इससे उपलब्ध होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अनेकों स्थानों पर जल परिवहन की सुविधा है लेकिन वह किस प्रकार की है, वह हम सब लोग जानते हैं। हमारे जिला बिलासपुर, जिला मण्डी और कांगड़ा में भी हम देखते हैं। जिला बिलासपुर में भी हमारा जल परिवहन कितना महत्वपूर्ण वहां है, हमको ऋषिकेश जाना होता है तो कितना समय वहां लगता है, हमको अगर बिलासपुर से भाखड़ा के लिए जाना होता है तो कम किराये में हमारे लोग वहां सफर करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मण्डी जिले में कोल डैम बनने से जो प्रोजैक्ट वहां बना है, उसमें भी वहां सरकार द्वारा रूट्स नोटिफाई किए गए हैं और वहां भी वोट चलती हैं। लेकिन वहां किस प्रकार की वोट चलती है? वहां सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में नहीं रखा जाता, चाहे वह बिलासपुर हो या मण्डी का कोल डैम हो। लेकिन

वहां लोगों को जल परिवहन के माध्यम से बहुत सुविधाएं मिलने की संभावनाएं हैं। अगर वहां जल मार्गों के माध्यम से लोगों को परिवहन की सुविधा मिल जाए तो जो हमारा बिलासपुर एवं मण्डी जिला, उसके साथ लगता सोलन एवं शिमला जिला है, इससे चारों जिलों के लोगों को वहां सुविधा हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वहां जिस प्रकार की सुविधा है, वहां जो रूट्स नोटिफाई किए गए हैं, उन पर जो वोट चलती हैं, उनमें न तो किसी प्रकार की लाईफ सेविंग जैकेट है और न ही किसी प्रकार की अन्य कोई सुविधा उसमें रहती है। यदि वहां कोई भी हादसा हो जाए तो हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

19/08/2019/1620/MS/AG/1

(विपक्ष के माननीय सदस्यगण वैल में आकर नारेबाजी करते रहे)

माननीय अध्यक्ष जी, चाहे पौंग डैम, चमेरा डैम, कोल डैम या लारजी डैम की बात हो, इन सभी में जल-परिवहन की अपार संभावनाएं हैं। हम चाहते हैं कि जल-परिवहन के माध्यम से हमारे नौज़वान युवाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त हों लेकिन जल-परिवहन के लिए आज हमारे प्रदेश में कोई स्थायी नीति नहीं है। आज आदरणीय मोदी जी की सरकार इसके प्रति गम्भीर है इसलिए हम चाहते हैं कि हिमाचल में भी जल-परिवहन पर कोई ऐसी स्थायी नीति बने जिससे जहां लोगों को सुविधा हो, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। हमारे प्रदेश के कई स्थानों पर आज पुराने तरीके की बोट्स चल रही हैं इसलिए आधुनिक तरीके की सुविधा के साथ वहां पर बोट्स चलाई जाएं। अगर यह गतिविधि कोल डैम से लेकर तत्तापानी तक भी करें, तब भी इससे लाभ होगा और वैसे ही तत्तापानी हमारे लिए धार्मिक आस्था का केन्द्र भी है। वहां पर गर्म पानी के चश्मे भी हैं इसलिए अगर वहां पर लोगों को आने-जाने के लिए जलमार्ग के माध्यम से सुविधा मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमारे लोगों को उसका बहुत लाभ होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, देश के कोने-कोने से पर्यटक हमारे हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं। यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मोदी जी की सरकार ने जलमार्गों पर सी-प्लेन उतारने का प्रयास किया है और गुजरात में तो सी-प्लेन उतारा भी

है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी अनेकों संभावनाएं हैं। कोल डैम में जिस प्रकार से जल भरा हुआ है वहां पर सी- प्लेन उतारने की बहुत संभावना है लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई स्थायी नीति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम देखते हैं कि हमारे गोवा और केरल जैसे प्रदेशों में देश के कोने-कोने से पर्यटक जाते हैं और वहां पर कई प्रकार की गतिविधियां जैसे बोटिंग वॉटर स्पोर्ट्स और क्रूज इत्यादि की सुविधाएं लोगों को मिलती हैं। ऐसी ही अपार संभावनाएं हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हैं। यदि पौंग डैम, भाखड़ा डैम, लारजी डैम या मण्डी के कोल डैम में भी गोवा और केरल की तर्ज़ पर जल-परिवहन को विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें बहुत लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इससे लोगों को आने-जाने में भी सुविधा होगी और उनका
समय भी कम लगेगा। उसके साथ-साथ आज सड़कों और रेलवे ट्रैक पर जो बर्डन बढ़ रहा है, वह भी कम होगा। इसके अलावा जलमार्गों पर मैंटीनैंस का खर्चा भी शून्य होता है। अगर इस ओर सरकार गम्भीर होगी तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। "मुख्य मंत्री युवा स्वावलम्बन योजना" के तहत भी अगर हम नौज़वानों को इस ओर आकर्षित करेंगे और उनको लोन देंगे तो वे आधुनिक तरीके की बोट्स डालकर जलमार्ग के माध्यम से लोगों को सुविधा भी देंगे और अपनी आजीविका भी अर्जित करेंगे। इसके अलावा इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वैल में नारेबाजी करते-करते बैठ गए)

माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में आज जल-परिवहन की कोई स्थायी नीति नहीं है। मैं सदन से यही कहूंगा कि अगर प्रदेश में कोई स्थायी जल-परिवहन नीति बनती है तो निश्चित तौर पर हिमाचल में भी गोवा और केरल की तर्ज़ पर दुनियाभर से पर्यटक आएंगे और प्रदेश के लोगों को भी इससे सुविधा मिलेगी। इसलिए मेरा माननीय सदन से यही निवेदन है कि जल-परिवहन पर एक स्थायी नीति बने। अगर जल-परिहवन की कोई स्थायी नीति होगी तो उससे हिमाचल प्रदेश में अनेकों प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जो कि हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा।

अन्त में मेरा सदन से यही निवेदन रहेगा कि जल-परिवहन नीति पर यह सदन विचार करे ताकि एक अच्छी जल-परिवहन नीति हिमाचल प्रदेश में बनें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

19.08.2019/1625/जेके/डीसी/1

अध्यक्षः इस विषय पर श्री राकेश पठानिया जी 10 मिनट में अपनी बात रखेंगे।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत जो राकेश जम्वाल जी ने यहां पर संकल्प लाया है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ....(व्यवधान).... आप लोग शर्म करो।

अध्यक्षः श्री राकेश पठानिया जी आप मेरी ओर देख कर बात करें। राकेश पठानिया जी आप इधर रैफर करिए। अध्यक्ष महोदय, इनके पल्ले अब कुछ भी बचा नहीं है। ....(व्यवधान).... इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। यहां पर बैठ करके ये नारे लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राकेश जम्वाल जी यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाए हैं। ....(व्यवधान).... आप लोग मेरा मुंह मत खुलवाएं। ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर जो नियम-130 का प्रस्ताव श्री राकेश जम्वाल जी लाए हैं मैं इसका समर्थन करने के लिए और इनको बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह 21वीं सदी का इशू है लेकिन हमारे मित्रों की समझ के बाहर है इसलिए यहां बैठ करके ये शोर मचा रहे हैं। आज 50 हजार करोड़ अगर हमारी सरकार ने इस विषय के लिए दिया है तो आज हमारी सरकार ने भविष्य देखा है और अगले 10 साल की राजनीति देखी है और 10 साल का इस देश का परिवर्तन देखा है, नया भारत,नया देश और नया प्रदेश का यह सपना है। ....(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे मित्र यहां पर बैठे हुए

हैं, जो ये 20-21 हैं अगली बार 2 या 4 ही रह जाएंगे, जैसा परिणाम लोक सभा इलैक्शन का आया है । परन्तु इनको अभी तक शर्म नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय, जो विषय वाटर ट्रांसपोर्ट का श्री राकेश जम्वाल जी ने यहां पर रखा है। ....(व्यवधान).... हिमाचल प्रदेश के अन्दर टूरिज्म के माध्यम से, वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चार चांद लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की तस्वीर बदली जा सकती है। We can change the whole map of tourism in Himachal Pradesh by the water transport. Himachal Pradesh has the very bright future as far as the tourism and water transport is concerned.

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो विषय नियम-130 के तहत उठाया गया है, इस बारे में, मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको अडॉप्ट करें। इस विषय में हिमाचल प्रदेश में क्या सम्भावनाएं हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाई जाए। देखा जाए कि वाटर वेज़ के माध्यम से हिमाचल में क्या पोटैंशियल है और इसको सीधे-सीधे टूरिज्म के साथ लिंक किया जाए ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अन्दर चाहे पौंग डैम हो, चम्बा में चमेरा हो, चाहे पंडोह हो, आज इन सारी-की-सारी...(व्यवधानवाटर बॉडीज़ के माध्यम से जो हम हिमाचल में वाटर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा पोटैंशियल है। There is huge potential for waterways in Himachal Pradesh. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि इसके बारे में गम्भीरता से हिमाचल सरकार एक कमेटी का गठन करें, इसको स्टडी करें और इसको धरातल पर उतारने का प्रयास करें। इससे जहां हिमाचल प्रदेश को बड़ा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, बहुत ही सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट मिलेगा

19.08.2019/1630/SS-HK/1

श्री राकेश पठानिया क्रमागतः

वहीं टूरिज्म को चार चांद लगेंगे और हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के लिए एक नया अट्रैक्शन पैदा किया जा सकता है। मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे भारत के अंदर इंटर-रीवर कनैक्टिविटी का जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, उस सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा रोडमैप तैयार किया है। जब अगले 7-8 साल में वह रोडमैप तैयार हो जायेगा तो हिन्दुस्तान की इंटरनेशनली सिचुऐशन चेंज हो जायेगी। इस देश के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आयेगा। जब वह चेंज देश में आए तो हिमाचल प्रदेश उसमें कहीं पीछे न रह जाए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज 50 हजार करोड़ रुपये का हिन्दुस्तान के अंदर वाटर वेज़ के माध्यम से आने वाला है, हिमाचल प्रदेश उसका अंग बने। Himachal Pradesh should be an important component of this water transportation and water connectivity in the country. Because it will bring Himachal Pradesh on another platform of development, as well as on another platform of tourism.

अध्यक्ष महोदय, ये जितने मेरे मित्र सभामण्डप में बैठे हैं, ये इस विषय को हल्के में ले रहे हैं। उससे इनकी मानसिकता नज़र आती है। खास करके लोक सभा इलैक्शन के बाद इनकी मानसिकता खराब हो गयी है। इनके पल्ले कुछ नहीं रहा है। इनमें से एक भी ऐसी मूर्त नहीं है जो 25 हजार से नीचे आ रही हो, एक भी ऐसी शक्ल नहीं है। इनके पल्ले कुछ नहीं बचा है। इनको हिमाचल के लोगों ने रिजैक्ट कर दिया है। They have been rejected by the people of Himachal Pradesh. अब इनके पास यहां बैठकर नारे लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है क्योंकि चुनाव क्षेत्र में लोग इनको पहचान नहीं रहे हैं। न ही जानते हैं कि ये कौन हैं। अब इनके पास एक ही काम बचा है उसको पूरी तरह से कर रहे हैं। आपको (विपक्ष के सदस्य) यहां धरना देने की बधाई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम-130 के तहत जो विषय लाया गया है उसका समर्थन करता हूं और आदरणीय मुख्य मंत्री व आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से इसको एडॉप्ट करने की प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री सुभाष ठाकुर जी 10 मिनट में अपना वक्तव्य रखेंगे।

श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष जी, नियम-130 के अंतर्गत जल परिवहन नीति, जो माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी लाये हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मैं बिलासपुर जिला से संबंध रखता हूं। बिलासपुर जिला में गोविन्द सागर झील सबसे लम्बी झील है, जिसकी लम्बाई 63 किलोमीटर है। यह भाखड़ा से लेकर सलापड़ तक है। इस झील के दोनों तरफ 170 घाट हैं। इस झील में 170 रजिस्टर्ड प्राइवेट वोटस चलती हैं। प्रतिदिन एक हजार लोग, कोई दरिया के पार जाता है, कोई भाखड़ा जाता है, कोई ज्यूरीपतन जाता है, कोई कुटलैहड़ जाता है। इसलिए यह झील जहां बिलासपुर जिला के चारों विधान सभा क्षेत्रों में है, वहीं पर यह कुटलैहड़ (जिला ऊना) के निर्वाचन क्षेत्र को कवर करती है। मंडी के सलापड़ और सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र के डैहर को भी छूती है। इसी तरह से हमारी दूसरी झील कोलडैम है। कोलडैम बनने के बाद वहां के लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई है। उनके जो आर-पार के रास्ते थे, जाने के साधन थे, वे भी बाधित हुए हैं। आम व्यक्ति को बहुत कठिनाई आई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से जल परिवहन नीति के लिए 50 हजार करोड़ रुपया रखा है, मैं सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में भी यह पैसा आए। यहां पर भी जल प्रबन्धन नीति बने जिससे हमारे लोगों को सुविधा हो और हिमाचल प्रदेश जैसे सुन्दर प्रदेश, जहां पर अनेकों प्रदेशों व विदेशों से

19.08.2019/1635/केएस/एचके/1

लोग घूमने के लिए आते हैं। यहां पर पर्यटन की बहुत सम्भावनाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हमारी यह परिवहन नीति और इसके तहत अच्छे वोट, अच्छी सुविधा मिले तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी मज़बूत होगा और हमारे नौजवानों

को रोज़गार मिलेगा, हमारे लोगों को जो इन झीलों से कठिनाई हुई है, उनको भी लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, बिलासपुर जिला में 3500 मछुआरे हैं जो प्रतिदिन मछली पकड़ते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, वह नाकाम रही है। परिवहन नीति के सम्बन्ध में भी और मछुआरों को सुविधा देने में भी नाकाम रही है। ठाकुर राम लाल जी मेरे बड़े भाई हैं, ये भी एडमिट करेंगे कि पहले ऐसा हुआ है। ये भी इस माननीय सदन के सदस्य हैं। आज ये भी इसमें सुधार कर सकते हैं, यह मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिदिन एक हजार लोग भाखड़ा से आते हैं, उनको यह सुविधा मिलेगी। क्योंकि हमारी बाउंडरी पंजाब के साथ लगती है, भाखड़ा से सलापड़ तक आने में तीन घण्टे का समय लगता है। भाखड़ा से प्रतिदिन हमारे वोट जाते हैं, अगर अच्छे वोट मिले तो एक घण्टे में वह सफ़र होगा। लोगों को सुविधा मिलेगी और जो पर्यटक मनाली तक जाते हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, कल भी अत्यधिक बारीश के कारण श्री नैनादेवी चुनाव क्षेत्र के कोट-कैहलूर में लैंड स्लाइडिंग के कारण दोनों तरफ से लोग घिरे हुए थे। जल मार्ग के माध्यम से 300 लोगों को वहां से बिलासपुर तक लाया गया है, मैं इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, बिलासपुर के प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर हमारे पास अच्छे वोट होते, परिवहन नीति होती तो शायद वे लोग वहां नहीं फंसते और उनको हम भाखड़ा तक ले जा सकते थे। पर्यटन की दृष्टि से, नौजवानों को रोज़गार मिले, अच्छे वोट आएं ताकि बिलासपुर भी टूरिज्म की दृष्टि से जुड़ सके, हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र भी जुड़े, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सुन्नी से कोल डैम तक पहुंचने में तीन घण्टे का समय लगता है। अगर परिवहन नीति के तहत अच्छे स्टीमर हमारे पास होंगे तो यह दूरी कम

होगी और एक घण्टे में सुन्नी से कोल डैम तक पहुंचा जा सकता है। पर्यटक भी उस झील का आनन्द ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार संवेदनशील सरकार है, प्रगतिशील सरकार है और टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है, आम आदमी की दिक्कत दूर करना चाहती है। जल परिवहन नीति हिमाचल प्रदेश में आए, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये इसके लिए रखा है। यह पैसा हिमाचल प्रदेश में भी आए, हिमाचल प्रदेश में रोज़गार के साधन बढ़े, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि परिवहन नीति को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिंद।

19.8.2019/1640/av/yk/1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री होशयार सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Hoshyar Singh : Mr. Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on the Motion under Rule 130, moved by Shri Rakesh Jamwal Ji. Sir, I would like to inform the House that water transportation is a very important issue for the State of Himachal Pradesh. In our State we have lot of scope so far the water transportation is concerned and these are in the form of Rivers, Canals and Dams. We can develop the water way transport which will benefit the maximum area in terms of environment, pollution, saving of fuel, vehicle congestion etc. We have to develop a mechanism; we have to develop a system where we can channelize our rivers. The Pong Dam in my constituency having a span of more than 45 Kilometers and it touches more than five constituencies of District Kangra i.e. Jawali, Jaswan-Paragpur, Dehra, Indora and Fatehpur. There are number of villages which are touching the Dam area. We can develop the jetties and harbours in these villages, जहां से लोग ट्रैवल कर

सकते हैं। We can also introduce boats, high speed boats, hover-crafts and cruise there and by using these modes, we can save 75 percent of our time which we spend nowadays on surface transport. This will really save the time. आज हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरह से डीज़ल, पैट्रोल और ऐनवायर्नमैंट को सेव कर सकते हैं। यह तभी सम्भव है जब हम इस तरीके की वॉटर वेज़ बोडीज इन्ट्रोड्यूस करें और उसका लोगों को पूरा फायदा मिले। पौंग डैम के इलाके के लिए हम सी-प्लेन का प्रस्ताव भी रख सकते हैं क्योंकि विदेशों में भी सी-प्लेन यूज़ किए जाते हैं। हिमाचल में लैंड एयरपोर्ट्स के लिए जमीन की कमी है मगर उस कमी को हम वॉटर वेज़ के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि केंद्र प्रायोजित वॉटर स्पोर्ट्स या लैंड से सम्बंधित जितनी भी स्कीम्ज़ हैं उनको जल्दी-से-जल्दी सभी डैम्ज़ और दूसरी वॉटर बोडीज़ में इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि प्रदेश के लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों को उसका फायदा मिल सके। मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल द्वारा नियम-130 के तहत पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल चर्चा में भाग लेंगे।

19/08/2019/1645/टी0सी0वी0/वाई0के/1

श्री जीत राम कटवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत श्री राकेश जम्वाल द्वारा उठाये गए मामले 'जल परिवहन नीति पर यह सदन विचार करें' पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। भाखड़ा डैम आजाद भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी परियोजना थीं । इसमें 32 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र झण्डुता निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरा चुनाव क्षेत्र तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और यह लगभग 32-33 किलोमीटर क्षेत्र हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम, पंडोह डैम, कोल डैम

और चमेरा डैम हैं। हिमाचल में विकास के साथ-साथ और भी वॉटरवेज़ तैयार हुए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में चाहे लारजी डैम, पार्वती डैम, कोलडैम, भाखड़ा डैम या चमेरा डैम हो यदि इस तरीके की सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो स्वतः ही इसका हमारे ग्रामवासियों/प्रदेशवारियों को लाभ होगा। जैसाकि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपये का वॉटर बॉडीज के लिए प्रावधान किया गया है। माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी चुनाव के दौरान मेरे चुनाव क्षेत्र में आये थे। उन्होंने इशारा किया था कि भारतवर्ष में शीर्घ ही हवाई जहाज पानी पर उतरने लगेंगे। आज मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि इस दिशा में सकारात्मक तरीके से काम होना शुरू हुआ है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्य वैल में बैठकर नारेबाज़ी करते रहे)

इसमें दो, चार या पांच हजार व्यक्ति प्रतिदिन फेरीज के माध्यम से अपना आवागमन करते हैं और अपने जीवन-यापन में व्यस्त रहते हैं। परन्तु इसके अलावा वॉटर बॉडीज़ में टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट/कार्गो ट्रांसपोर्ट जोकि एक बहुत आवश्यक चीज है, उसके बारे में भी इस सदन में विचार होना बहुत आवश्यक है। मुझे याद है जब वर्ष 1976-77 में मैं पॉलीटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था तो भाखड़ा से स्लापड़ तक बड़ी-बड़ी मशीनरी चलती थी लेकिन वह प्रोजैक्ट के साथ बंद हो गई है। परन्तु आज व़क्त आ गया है कि यह सदन/सरकार और हम सब लोग मिलकर इसके बारे में विचार करें। अगर 40-50 वर्ष पहले इस दिशा में सरकार ने काम किया है तो आज भी इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से विचार किया जा सकता है और नदियों के किनारे बसने वाले लोगों की सांस्कृतिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सकारात्मक कदम उठाएं जा सकते हैं। इसलिए इस पॉलिसी व मुद्दे के ऊपर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। मेरे साथी ने यहां पर कहा कि मछुआरों की समस्या है। बिलासपुर जिला में ही लगभग 5-7 हजार मछआरे हैं और ये बाकी वॉटर बॉडीज़ में भी होंगे। आज इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इनका आधुनिकीकरण करके, इनके लिए रोटी-रोज़ी और इनकी समस्याओं के समाधान हेतु सकारात्मक पॉलिसी की आवश्यकता है।

19-08-2019/1650/NS/AG/1

मुझे पूरा विश्वास है कि यह माननीय सदन इसके ऊपर अवश्य गौर करेगा। जैसा पौंग डैम, पंडोह डैम और कोल डैम के बारे में कहा गया है कि अब जल परिवहन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। सड़कों पर दबाव ज्यादा है। अगर हम इस तरह के मार्ग तलाश करते हैं और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं तो न केवल उन लोगों को लाभ होगा जो डैम आउस्टीज़ होने के साथ हमेशा के लिए एक पिछड़ेपन का शिकार हुए हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में बैठ कर नारेबाज़ी करते रहे।)

मेरा ऐसा मानना है कि हम जल परिवहन के तरीके से इसमें सुधार कर सकते हैं। हमारा उत्तरदायित्व उनको मेनस्ट्रीम करना है और इसको हम पूरा करने में सक्षम होंगे। कार्गो रूट्स हों या दूसरी कोई और संभावनाएं हों, जिन क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं हैं और अभी तक उनके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है वे क्षेत्र भी इसमें शामिल होने चाहिए। मैं इस पॉलिसी से लाभ होने की उम्मीद करता हूं। इसके अतिरिक्त लोगों में अभी भी आइसोलेशन की भावना है। लोग नदियों और बांधों के किनारे रह रहे हैं तथा इन लोगों को सड़कों की कमी की वजह से जंगलों के मार्गों से पैदल आना-जाना पड़ता है। वे लोग सरकार से सुधार की अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार इस तरफ भी कोई ध्यान दे। मुझे मालूम है कि बी0बी0एम0बी0 और मत्स्य पालन विभाग के पास अच्छे स्टीमर हैं और इन वॉटर बोडीज़ के माध्यम से दो क्षेत्रों के बीच की दूरी कम हो सकती है और समय की भी बचत होगी। अगर हम जल परिवहन के स्रोत के लिए काम करें तो समय की बचत के साथ-साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इसके अलावा लोगों का आपस में मेल-जोल बढ़ेगा। आमने-सामने दो किलोमीटर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको परिवहन का कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है। उनको केवल आवश्यकतानुसार सामान लाना या किसी दूसरे किनारे में अपने गंतव्य पर जाने तक ही यह साधन सीमित रहता है। भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक पराकाष्ठा को देखते हुए अगर उनको भी यह सुविधा शीघ्र मिलती है तो यह बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस माननीय सदन में और भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें आई हैं और इनके बारे में यह सदन एक सघन नीति पर विचार करे। मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए माननीय सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाए व उनसे सुझाव लिए जाएं। जिन क्षेत्रों में वॉटर बोडीज़ हैं, वे माननीय सदस्य इस कमेटी में शामिल हों और वे अपने मत, सुझाव तथा अपने लोगों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाएं तथा सरकार इस नीति के ऊपर विचार करे। इससे सड़कों के ऊपर दबाव कम होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी तथा ट्रैफिक जाम से निज़ात मिलेगी। इसके लिए हमें साथ मिल करके कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में और परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी के मार्गदर्शन में इस नीति पर गौर करेगी और इसमें बांध वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस माननीय सदन में बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय मंत्री श्री गोविन्द ठाकुर जी चर्चा का उत्तर देंगे।

19.08.2019/1655/RKS/AG-1

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में बैठकर नारेबाजी करते रहे।)

वन एवं **परिवहन मंत्रीः** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी ने जल परिवहन नीति बनाने पर माननीय सदन में एक महत्वपूर्ण चर्चा लाई है। शराब माफिया को बचाने के लिए जितने भी इश्यूज हैं उस संबंध में विपक्ष के साथी सदन में नारेबाजी कर रहे हैं लेकिन आपके पास इस संबध में बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप नारेबाजी करते रहिए क्योंकि न तो आपकी तरफ मेरा ध्यान है और न ही मैं आपको सुनना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। देश के अंदर नये काम होने चाहिए, उस दिशा में

नये इनिशिएटिव लिए गए। भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 मार्च, 2016 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में चार राष्ट्रीय जलमार्ग अधिसूचित किए गए लेकिन हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उन सारे विषयों को आगे नहीं बढ़ाया। 27 दिसम्बर, 2017 को श्री जय राम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बने और इन सारे विषयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग, जल परिवहन की दिशा में नया काम करे इसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी को कोल डैम का निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार से निवेदन किया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विशेषज्ञ के एक दल ने 20 व 21 जुलाई, 2019 को सुन्नी से कोल डैम स्थल तक का दौरा किया जिसमें उन्होंने सुन्नी से लेकर ततापानी क्षेत्र में तीन व कसौल गांव में एक जैटी विकसित करने का सुझाव दिया। इस कार्य को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए 25 जुलाई, 2019 को मैं स्वयं कोल डैम में जल परिवहन गतिविधियों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ दल एवं विभागीय अधिकारियों के साथ गया और वहां पर जो कोल डैम की जैटी है उसके माध्यम से हम ततापानी से सुन्दरनगर पहुंचे। इस सफर को रोड के माध्यम से तय करने के लिए चार घंटे का समय लगता है जबकि जलमार्ग से हम मात्र 45 मिनट में वहां पर पहुंच गए।

माननीय अध्यक्ष महादेय, जल परिवहन के लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने पर्यटन विभाग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करवाई है। यह सरकार काम करने वाली सरकार है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'नई राहें, नई मंजिलें' स्कीम के अंतर्गत Administrative Approval & Expenditure Sanction दी है। इसमें कहा गया है - it is submitted that the Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has submitted a revised project proposal vide letter dated 3rd August, 2019 for initiating the adventure sports activities at Tatapani and Larji area in District Mandi. माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए 1.72 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर करवाई है। जल

परिवहन की दिशा में ततापानी में तीन और दो जैटिज सुन्दरनगर और बिलासपुर की सीमा में बनाई जाएगी।

19.08.2019/1700/बी0एस0/डी0सी0-1

इनके लिए जितनी राशि खर्च होगी उसका प्रबंध भी परिवहन विभाग करेगा। इस तरह का एक नया प्रयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। परिवहन विभाग अपनी jetty खरीद करके एक प्रयोग के तौर पर उसको चलाएगा ताकि इस दिशा में लोग आगे कदम बढ़ा सकें। State Industrial Development Corporation ने अब इसका प्राक्कलन इत्यादि तैयार कर लिया है। हमारा भरपूर प्रयास है कि हम इसे दिसम्बर, 2019 या जनवरी, 2020 तक चला सकें। इस कार्य को हम बहुत तेज गति से करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जैसा कहा गया कि हमें भारत सरकार के India Inland Waterways Authority ने consultancy देने के लिए कहा है और भारत सरकार ने Techno Economic Feasibility Study के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया है। इस कंपनी का नाम I-maritime Consultancy Pvt. Ltd. है। इस कंपनी ने consultancy दी है और कहा है कि हम चार स्थानों पर water ways का काम कर सकते हैं।

1. ब्यास नदी तलवारा बैरेज से हरिके डैम।
2. चिनाव नदी चिनाव सड़क ब्रिज से भद्रकलां ब्रिज।
3. रावी नदी गंधियार डैम से रंजीत सागर डैम।
4. सतलुज नदी सुन्नी सड़क ब्रिज से हरिके डैम।

इनकी डी0पी0आर्ज और estimated cost 26.61 करोड़ रुपये बताई गई है। जिसे भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, water ways की दिशा में यह विचार किया गया है कि परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports है और वन विभाग एक संयुक्त कमेटी बना

करके इस दिशा में कार्य करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो I-maritime Consultancy Pvt. Ltd. पूरे हिमाचल प्रदेश का comprehensive plan बना करके दें। चाहे इसमें लाहौल-स्पीति है, चाहे चम्बा है और चाहे पौंग डैम हैं। सब जगह पर इसे तैयार करके हम देने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने न केवल मात्र waterways पर कार्य करने के प्रयास किया है बल्कि हमारी सरकार ने स्टेक होल्डर्ज के साथ सितम्बर, 2019 में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों व सभी स्टेट होल्डर्ज से सुझाव भी लिए। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में एक मीटिंग हुई थी और सभी के सुझाव लेने के बाद हमने इस दिशा में कार्य किया है। जैसा हमने अभी कहा है कि प्रदेश स्वरोजगार और पर्यटन की दिशा में भी आगे बढ़े। ferries अधिनियम 1956 में यह कहा गया है कि public & private ferries दोनों को हम रेगुलेट करेंगे। हम ठीक प्रकार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की नदियों और डैम्ज को कैसे इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए? जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व रोजगार के साधन बढ़े और पर्यटकों को देखने के लिए नई चीजें मिले। उन सभी चीजों के लिए भारत सरकार द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा नमामी गंगे के अन्तर्गत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के माध्यम से एक डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई गई है जिसकी पूरे विश्व में सबसे अधिक सराहना हुई है। अब भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि हिमालच प्रदेश का जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, शिमला में स्थित है। सिंधु नदी basin की पांच नदियां हैं जिनमें ब्यास, चिनाव, रावी, सतलुज और झेलम हैं। इन पांच नदियों की भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें।

19.8.2019/1705/डी0टी0/डी0सी0-1

परिवहन विभाग जो वॉटरवेज पॉलिसी बनाएगा और जो इन पांच नदियों पर डी0पी0आर0 बन रही है उसमे जैटीज का निर्माण किया जाएगा। कई जगह मनोरंजन पार्क बनाये जाएंगे, कई जगह झील बनाई जायेगी और कई जगह तालाब इत्यादि बनाये जाएंगे। हम इन सबको डिटेल प्रोजैक्ट रिर्पोट में सम्मिलित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पथ प्रदर्शन में वे मीटिंग करके इस प्रोजैक्ट को सिरे चढ़ाएंगे । इसलिए हमने कहा कि वैज्ञानिक तौर पर इस सारे काम को बढ़ाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में वॉटर ट्रांसपोर्ट के संबंध में एक नया अध्याय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार प्रारम्भ करेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है ये सब परेशान इसलिए है क्योंकि वे लोकसभा के चुनाव में अपने विधान सभा क्षेत्र में तो हारे ही हैं लेकिन यह सब अपना पोलिग बूथ भी बचा नही पाएं हैं। इसलिए ये बहुत परेशान हैं। यह कुछ भी कहें लेकिन यह सरकार नये इंशिएटिव लेकर काम करेगी। अध्यक्ष महोदय जो सुझाव श्री राकेश जम्वाल जी, श्री राकेश पठानिया जी, श्री सुभाष ठाकुर जी, होशयार सिंह जी और श्री जीत राम कटवाल जी ने दिए हैं, निश्चित रूप से इन पांचो सदस्यो के साथ बैठ करके इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और जो बहुमूल्य सुझाव आएगें उसको हम सब विभागो के साथ विचार करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अच्छा पॉलिसी डॉक्यूमेंट देंगे। जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में ले जाकर इसको सिरे चढ़ाएंगे। निश्चित रूप से यह नीति बनेगी और नीति बनने के बाद हिमाचल में इंप्लिमेंट होगी। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते है।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिस मामले को लेकर माननीय सदन में नारेबाजी की जा रही है इस विषय की वस्तुस्थिति क्या है। इस बारे में प्रदेश की जनता को जानना चाहिए और मीडिया के माध्यम से सही पक्ष जनता तक पहुंचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय मैं रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हुं। यह अभियोग आरक्षी अनिल दत्ता न0 170 विशेष अन्वेषण ईकाई जिला ऊना के बयान पर पंजीकृत हुआ। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में अंकित करवाया है कि यह विशेष अन्वेषण इकाई ऊना में बतौर सामान्य ड्यूटी कार्यरत है। दिनांक 12.08.2019 को यह पुलिस पार्टी के साथ इलाका रामपुर, पेखूबेला, नगंड़ा सन्तोषगढ़ इत्यादि के बराये गश्त सुरागवरारी आबकारी, मादक द्रव्य अधिनियम के व सवारी निजी गाड़ी रवाना थे।

19-08-2019/1710/एच.के.-एन.जी./1

समय करीब 9.15 बजे रात जब यह सभी बराये साधारण नाकाबन्दी हेतू इन्डियन ऑयल पम्प पेखूवाला उना पर मौजूद थे तो इसी दौरान उना की तरफ से एक गाड़ी आई, जिसे पुलिस कर्मियों ने टार्च द्वारा रूकने का ईशारा किया। जिस पर कार चालक ने अपनी कार रोकी, जो गाड़ी न0 पी0बी0-16ए-2402 मारूति 800 पाई गई। गाड़ी में चालक के अलावा और कोई व्यक्ति न पाया गया तथा गाड़ी में पिछली सीट व डिक्की में शराब की पेटियां पाई गई। चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम अरूण कुमार उर्फ रिक्की पुत्र राम नारायण, डाकघर सनोली, तहसील व जिला उना व उम्र 25 साल बतलाया। उपरोक्त गाड़ी को इसने व आरक्षी नितिन ने सड़क के किनारे लगवाया।

इतने में दो अन्य गाड़ियां, इनोवा गाड़ी नम्बर एच0पी0-20एफ-1111 एवं एच0पी0-20ए-4420 अल्टो उना की तरफ से आई जिसमें करीब 7/8 व्यक्ति बैठे थे। इनोवा गाड़ी नम्बर एच0पी0-20एफ-1111 में से दो/तीन व्यक्ति नीचे उतरे व पूछने लगे कि आप कौन है? जिस पर इन सबने अपने-अपने आई-कार्ड दिखाकर कहा कि ये सभी विशेष अन्वेषण ईकाई उना से हैं। तो दूसरी गाड़ी नम्बर एच0पी0-20ए-4420 अल्टो से भी 4/5 लड़के नीचे उतरे और उपरोक्त सभी तीनों गाड़ियों में सवार व्यक्यिों ने इसे व नितिन को हाथों-मुक्कों व लातों से मारपीट शुरू कर दी और गाड़ी नम्बर पी0बी0-16ए-2402 मारूति 800 में लोड़ शराब की पेटियों को उठाकर करीब तीन पेटियां शराब नीचे फैंककर तोड़ दी और अपनी-

अपनी गाड़ियों को भगाकर ले जाने लगे। इतने में इनकी टीम के अन्य पुलिस कर्मी भी आ गए जिन्होंने उनके चंगुल से आरक्षी अनिल दत्ता एवं आरक्षी नितिन को छुड़वाया व इन चारों ने तीन व्यक्तियों को काबू किया व बाकी करीब 5 व्यक्ति मौका से भाग गए।

काबू की गई इनोवा गाड़ी में सवार व्यक्तियों में गाड़ी के चालक का नाम विजय कुमार पुत्र अमर दास निवासी फतेहपुर डाकघर नंगड़ा जिना उना व उम्र 45 साल व महिन्द्र सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी गांव व डाकघर सन्तोषगढ़, तहसील व जिला उना व उम्र 33 साल मालूम हुआ। जोकि उपरोक्त गाड़ियों में सवार सभी व्यक्तियों ने इनकी

डियूटी में बाधा डालकर बरामद शराब पेटियों को छुड़वाकर ले जाने में सहायता करके इसे व नितिन ठाकुर को शारीरिक चोटें पहुंचाई है।

- मौका पर मौजूद तीन गाड़ियां मारूति 800 नम्बर पी0बी0-16ए-2402, इनोवा गाड़ी नम्बर एच0पी0-20एफ-1111 एवं आल्टो कार एच0पी0-20ए-4420 कब्जा पुलिस में ली गई।
- अन्वेषण के दौरान पाया गया कि मौका पर मौजूद इनोवा गाड़ी नम्बर एच0पी0-20एफ-1111, आर0सी0 के आधार पर श्री सतपाल रायजादा, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र उना की है।
- अभियोग में तीन अभियुक्तों 1. विधायक की गाड़ी का चालक विजय कुमार पुत्र श्री अमर दास निवासी फतेहुर, डाकघर नंगड़ा, तहसील व जिला उना व उम्र 45 साल। 2. विधायक उना का पी.एस.ओ. महिन्द्र सिंह पुत्र श्री चरण सिंह निवासी गांव व डाकघर सन्तोषगढ़, जिला उना व उम्र 33 साल। 3. अरूण कुमार उर्फ रिक्की पुत्र श्री राम नारायण निवासी गांव व डाकघर सनोली, तहसील व जिला उना व उम्र 25 साल को दिनांक 13-08-2019 को गिरफतार किया गया है जिन्हें उसी दिन अदालत में पेश किया गया तथा एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। दिनांक 14-08-2019 को उपरोक्त तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जहां से

दिनांक 17-08-2019 को उपरोक्त तीनों को जमानत पर अदालत द्वारा रिहा किया गया है।

- अभियोग में दो अभियुक्तों 1. नन्दन उर्फ चिट्टू पुत्र श्री सतीष कुमार निवासी गांव व डाकघर सनोली, तहसील व जिला उना व उम्र 22 साल। 2. विधायक उना का पी0ए0 मुकेश कुमार पुत्र श्री मेला राम निवासी गांव लाल सिंगी, डाकघर रायेसरी, तहसील व जिला उना व

19/08/2019/1715/RG/HK/1

(कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप नारेबाजी करते रहे)

उम्र 32 साल को दिनांक 13-08-2019 को गिरफ्तार किया गया जिनको पुलिस रिमाण्ड के उपरान्त दिनांक 16-08-2019 को अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया।

महिन्द्र सिंह, पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी गांव व डाकघर सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना व उम्र 33 साल, जोकि मुख्य आरक्षी (मुख्य आरक्षी नं. 04) के पद पर प्रथम भारत आरक्षित वाहिनी, बनगढ़ से बतौर पी.एस.ओ. श्री सतपाल रायजादा, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र ऊना के साथ तैनात हैं।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त अरुण कुमार, उर्फ रिक्की, पुत्र श्री राम नारायण, निवासी गांव व डाकघर सनोली, तहसील व जिला ऊना व उम्र 25 साल के विरुद्ध अभियोग संख्या 275/19, दिनांक 13-08-19 अधीन धारा 39(1)(ए) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है जिसमें 11 पेटी एवं 13 बोतल शराब की बरामद की जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनवेस्टीगेशन की रिपोर्ट अभी तक आनी बाकी है। इनवेस्टीगेशन जारी है। इस बात को लेकर जो ज्यादा शोर डाला जा रहा है तो मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि पुलिस ऐक्ट की धारा 67 के अनुसार किसी भी अभियुक्त को न्यायालय के आदेश के बिना उन हालातों में हथकड़ी लगा सकते हैं जब अभियुक्त भागने का प्रयास कर सकता हो या अभियुक्त उग्र हो सकता हो या अभियुक्त आत्महत्या का प्रयास कर सकता हो।

उक्त अभियोग में अभियुक्त अरुण कुमार सिर्फ एक आदमी को, क्योंकि वह भागने का प्रयास भी कर सकता था और वह बहुत वॉयलेंट था, ऐसी परिस्थिति में उसे पुलिस ऐक्ट

धारा 67 के तहत हथकड़ी लगाई गई। सिर्फ एक आदमी को जो माफिया है, उसको हथकड़ी लगाई गई। उसको तो हथकड़ी ही लगेगी। क्या उसको हार डालेंगे?
अध्यक्ष महोदय, हम विधायक के इन्स्टीटियुशन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जहां तक इस मामले को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है और गलत दिशा में ले जाकर एक बहुत अच्छा संदेश विपक्ष की ओर से नहीं दिया जा रहा है। पूरा प्रदेश माफिया के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है।
ड्रग माफिया, नशे एवं खनन माफिया के खिलाफ पूरे प्रदेशभर में हम एक अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इस प्रकार से एक माफिया के प्रभाव में माननीय सदन के संचालन में बाधा डाली जाए तो यह उस अभियान को एक बहुत बड़ा धक्का होगा। इसलिए मैं इस सारे व्यवहार की निन्दा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इंडियन टैक्नोमैक के कारण 2100 करोड़ रुपये का नुकसान हिमाचल प्रदेश सरकार को हुआ है और वह नुकसान तब हुआ जब इन लोगों की सरकार थी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश बेवरेजिज लिमिटेड (HPBL) में 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और आज माफिया को इन लोगों ने इस प्रकार से संरक्षण देने की बात कही है तो सच में हमको इस बात की पीड़ा है और पूरे सदन को तथा पूरे प्रदेश को इनके इस व्यवहार से बहुत निराशा हुई है।
अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैंने वास्तविक स्थिति यहां इस माननीय सदन में रख दी है और इस रिपोर्ट को भी मैं इस माननीय सदन में ले कर देता हूं ताकि कहीं व्यवधान के दौरान यदि कुछ रिकॉर्ड न हुआ हो तो मैं चाहता हूं कि इसको रिकॉर्ड में लाया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक : 19 अगस्त, 2019 **सचिव।**